राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (316) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/अभि./तक.अनु.स./2017–18 जयपुर, दिनांक 22 जून, 2017

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, महोदय की अध्यक्षता में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सरपंच संघ के ज्ञापन के संबंध में सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक के क्रम में चर्चा हेतु विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक **दिनांक 15.06.2017** समिति कक्ष में आहुत की गई है, जिसमें संभाग/जिला स्तरीय अधिशाषी अभियंता, वी.सी. के माध्यम एजेण्डावार प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया, बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श कर लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है –

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु	बैठक में दिये लिए गए निर्णय/निर्देश
1	गांवों में श्रमिकों का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण के निर्धारण पर चर्चा।	गांवों में श्रमिकों का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण के निर्धारण बाबत् समिति ने विचार–विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिए :– 1. सम्भागीय जिला स्तर पर स्थित नगर पालिका में वर्तमान में प्रचलित प्रकिया का अध्ययन कर निर्धारित प्रपत्र में दि. 20.06.17 तक भिजवाने के शासन सचिव द्वारा निर्देशित किया गया। 2. सम्भागीय जिला स्तर पर स्थित नगर पालिका में टाईम मॉशन स्टेडी कर निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.06.2017 तक भिजवाने के शासन सचिव द्वारा निर्देशित किया गया।
2	बाडमेर जिले से परिवहन दरों के निर्धारण के क्रम में प्राप्त रिपोर्ट पर चर्चा।	समिति के समक्ष जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि ऑफ–लाईन एक्सल फॉरमेट व सॉफ्टवेयर बीएसआर में परिवहन दरों के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। बाडमेर जिलें के अधिशाषी अभियन्ता, अभि. द्वारा अवगत कराया गया कि ऑफ–लाईन एक्सल फॉरमेट व सॉफ्टवेयर बीएसआर में अन्तर आने की वजह इनमें लिए गये गुणांकों में भिन्नता के कारण परिवहन दरों में भिन्नता है। इस बाबत् शासन सचिव, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बाडमेर जिले के अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) राज्य मुख्यालय पर उपस्थित होकर समिति के सदस्यों से विचार–विमर्श करें।
3	जिला परिषद् स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने पर चर्चा।	प्रत्येक जिला स्तर पर एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरणों यथा कोर कटींग मशीन, कम्प्रेसिव ट्रेस्टिंग मशीन, इलेक्ट्रानिक्स तुला मशीन, क्यूब मोल्ड्स इत्यादि का कय कर प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस बाबत् अधिशाषी अभियन्ता, अभियान्त्रिकी कोटा को जिला परिषद् कोटा में स्थापित प्रयोगशाला संचालन यथा उपकरणों का कय, रखरखाव व मानव संसाधन को संधारण आदि का विस्तृत विवरण दिनांक 20.06.2017 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अन्य जिलों से भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

4	बीकानेर संभाग में ईंट खरंजा निर्माण में ईंटों की खपत पर चर्चा।	समिति ने पूर्व में गठित तकनीकी दल जिला बीकानेर, बाडमेर, गंगानगर एवं चूरू के अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) को कर इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है। इस बारे में गठित तकनीकी दल को पुनः निर्देशित किया गया कि दिनांक 20.06.2017 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही अन्य जिलों से भी इस बारे में सुझाव मांगे गये।

अन्य बिन्दु :–

1. शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्मार्ट विलेज की बेस लाईन सर्वे की सूचना दिनांक 21.06.2017 तक आवश्यक रूप से सभी जिलों द्वारा उपलब्ध कराई जावें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में प्रथम किश्त हस्तान्तरण से शेष रहे लाभार्थियों को 21.06.2017 तक प्रथम किश्त हस्तान्तरण कराई जावें तथा साथ ही शेष रही मस्टररोल भी जारी की जावें।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5 मुख्य अभियंता, नगर निगम, जयपुर को साफ–सफाई की दर निर्धारण के क्रम में, (स्वयं या प्रतिनिधि अभियंता)।
6 जिला कलेक्टर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड, कोटा, जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू।
7 संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास।
8 अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
9 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
10 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा।
11 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि संभाग मुख्यालय पर नगर निगम/नगर परिषद् के अभियंताओं को वी.सी. के माध्यम से साफ–सफाई की दर निर्धारण के संबंध में चर्चा हेतु बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।
13 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड, कोटा, जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू।
14 श्री पराग चौधरी– अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग।
15 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद कोटा एवं झालावाड (जिला परिषद् स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्)।
16 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू (ईंटों की खपत पर चर्चा हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्)।
17 अजमेर संभाग– अधिशाषी अभियता (अभि.), जिला परिषद अजमेर।
18 भरतपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद भरतपुर ।
19 जयपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जयपुर।
20 जोधपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जोधपुर।
21 उदयपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद उदयपुर।
22 अधिशाषी अभियंता (अभि.), नगर परिषद् उदयपुर।
23 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जैसलमेर एवं बाडमेर।
24 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)

परिशिष्ट–1

माननीय मंत्री महोदय द्वारा सरपंच संघ के ज्ञापन के संबंध में सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक के क्रम में चर्चा हेतु विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2017 उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री सी. एम. तेजावत	अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
2	श्री अरूण सुराणा	अधी. अभियंता, इजीएस एवं परियोजना निदे. (एसएसपी) ग्रावि।
3	श्री अरविन्द सक्सेना	अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा।
4	श्री पराग चौधरी	अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग।
5	श्री संजय शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
6	श्री विनोद कुमार उपाध्याय	अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जयपुर।

वी.सी. के माध्यम से जिला मुख्यालय पर बैठक में भाग लेने वाले अधिकारीयों का विवरण निम्न है :–

1 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद कोटा।
2 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद झालावाड।
3 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद बीकानेर।
4 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद श्रीगंगानगर
5 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद हनुमानगढ़।
6 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद चूरू।
7 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जैसलमेर।
8 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद बाडमेर।
9 अधिशाषी अभियंता (अभि.), नगर परिषद् उदयपुर।
10 अजमेर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद अजमेर।
11 भरतपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद भरतपुर ।
12 जोधपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जोधपुर।
13 उदयपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद उदयपुर।